

# कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) के निम्नांकित विषय व्याख्याता का वेतन व्यवस्था का आदेश जारी किया गया था, में संबंधित कार्मिक का कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	लक्ष्मी देवी व्याख्याता - भूगोल राउमावि. कल्याणपुरा, शाहपुरा, जयपुर	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5 /वेतन व्यवस्था /2020-21 /78 दिनांक:-04.02.2021	वेतन व्यवस्था स्वीकृति आदेश दिनांक 04.02.2021 में क्रम संख्या 01 पर कॉलम संख्या 4 में अंकित माह नवम्बर 2020 के स्थान पर माह सितम्बर 2020 पढ़ा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 5/02/2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18/567

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर